न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0 53/2013 राजस्व वाद

1—साक्षी यादव

2—सृष्टि पुत्रीयान रामेश्वर यादव जाति अहीर निवासी आसूका तहसील कामां नाबालिग जरिये माता वलीसरस्त उर्मिला यादव पत्नि रामेश्वर यादव जाति अहीर निवासी आसूका तहसील कामां हाल रामनगर 60फुट रोड ठाकुरवाला कुआ, अलवर

वादीगण

बनाम

1 —रामेश्वर यादव पुत्र श्री स्व0 बुद्धि जाति अहीर निवासी ग्राम आसूका तहसील कामां जिला भरतपुर

2— पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुरहर जरिये मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक जुरहरा

3— सब रजिस्ट्रार तहसील कामां

4— थानसिंह पुत्र बुद्धि जाति अहीर निवासी आसूका

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, .188 R.T.Act

निर्णय

दिनांक 30 08.2018

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 88, 89, .188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 1241/0.88, 1245/0.23, 1246/61, 2045/1298/0.34, 2047/249/0.23 किता 5 रकवा 2.29 हैक्ट, वाके ग्राम नन्देरा तहसील कामां की आराजी है । वादी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है । आराजी मुतनाजा को पूर्व में बादीगण के बाबा बुद्धि पुत्र तुलाराम ने परिवार की संयुक्त आमदनी से अपने पुत्रों कमशः बिहारीशरण , थानसिंह , रामेश्वर के नाम वयनामा से खरीद कर दी थी और तभी से आराजी के 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज काश्तकार रहकर काश्त करता रहा है वादीगण की माता की शादी प्रतिवादी नम्बर एक के साथ 2001 में सम्पन्न हुई तभी से पहले उक्त आराजी पर प्रतिवदी नम्बर एक के साथ आराजी के 1/3 हिस्से पर बहैसियत काश्तकार रहकर काश्त करती चली आ रही है और मौके पर इस वक्त वादीगण का कब्जा है । राजस्व रिकार्ड में आराजी के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर एक अकेले का नाम दर्ज होता चला आ रहा है जो कतई गलत खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा दर्ज होता चला आ रहा है वादीगण का पिता रामेश्वर यादव गन्दी आदतो में फंसा हुआ है और रोजाना शराब पीता है तथा जुआ सटटा खेलता है और परिवार का भरण पोषण नही करता है और शराब पीकर बच्चों का पीटता है शराब की आदत की पूर्ति के लिए आराजी को रहन रखकर किसान कार्ड कर्ज लेकर कर्ज की राशि जुआ सट्टा पर खर्च कर समाप्त कर रहा है

उपखण्ड- अधिकारी
कामा (भरतपुर) राज0

प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी है कि मेरी प्रतिवादी नं0 2 से बातचीत हो गयी है मैं शीघ्र उक्त आराजी को पी0एन0बी0 जुरहरा में रहन रखकर पूरी आराजी पर किसान कार्ड ऋण लूंगा और पैसे का शराब आदि में खर्च करूंगा । तुम्हे भूखे मरने के लिए छोड दूंगा । प्रतिवादी अपने धमकी में कामयाब हो गया तो वादीगण नाबालिग के हितों पर कुठाराघात पहुचेगा । विदि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी जारी करा पाने का अधिकारी है । आराजी मुतदाविया हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्मिलित आय से खरीदी हुई है । जिस पर आराजी के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर एक के साथ वादीगण बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है । और मौके आज भी वादीगण प्रतिवादी नम्बर एक के साथ काबिज काश्त है जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्से पर अकेले प्रतिवादी नम्बर एक के नाम दर्ज होता चला आ रहा है । वह कतई खिलाफ कानून व खिलाफ मौका कब्जा है । जिसे वादीगण कलमजन कराकर अपने आपको प्रतिवादीनम्बर एक के साथ खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है । और प्रतिवादी नम्बर दो के यहा रहन रखकर किसी प्रकार का ऋण आदि नहीं लेवे प्रतिवादी नम्बर 2 प्रतिवादी नं0 1 को किसी प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं करावें । तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । तथा प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य नहीं करें । जिससे हकूक जायल हो ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित नही आये ना ही कोई जबाव पेश किया कि। वादीगण ने उपस्थित होकर दावे में लिखित तथ्यों को दोहराया प्रतिवादी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया एक्सपार्टी किया गया। थानसिंह पुत्र बुद्धि जाति अहीर निवासी आसूका ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी नं0 4 अंकित किया गया । तथा जबाव पेश किया कि वादीगण ने जो सम्पूर्ण आराजी पर डिकलेरेशन चाहा है वह गलत है प्राबधानों के अन्तर्गत वादीगण मात्र अपने हिस्से के 1/6 हिस्से की आराजी में से ही डिकलेरेशन करा पाने के अधिकारी है । प्रतिवादी नम्बर 4 सह खातेदार है जो अपने हिस्से पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 4 का कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है । वादीगण द्वारा सम्पूर्ण हिस्से पर दादरसी चाही जो विधि के मुताबिक गलत है । वादीगण मात्र अपने पिताके 1/6 हिस्से पर दादरसी पाने के अधिकारी है । वादी व प्रतिवादीके दावे व जबाव पर तनकी निम्न प्रकार से तैयार की गयी है:-

1- आया वादनी आराजी मुतादाविया के हिस्से पर अपने आप को खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा 1/3 हिस्सा बराबर का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा पाने का अधिकारी है।

वादीगण

2-आया वादीगण प्रतिवादी नं 1 को जरिये हुक्त इम्तनाई दवामीसे पाबन्द करा पाने का अधिकारीहै।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कामा (भरतपुर) राज0

वादीगण द्वारा साक्ष्य में अवगत कराया कि पूर्व में वाद पत्र के साथ साक्ष्य पेश किये जा चुके है । अब पेश करना नहीं चाहते हैं । प्रतिवादी नं04 भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है । बहस के लिए समय चाहा । वादीगण के वकील द्वारा बहस में अपने लिखित दावे के तथ्यों को पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजो बहस अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय सुनी गयी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नं0 1 आराजी ख0नं0 1241/0.88, 1245/0.23, 1246/0.61, 2045/1298/0.34, 2047/249/0.23 किता 5 रकवा 2.29 हैक्ट, वाके ग्राम नन्देरा तहसील कामां पर बिहारीशरण ,थानसिंह, रामेश्वर पि0 बुद्धि बहिस्सा बराबर खातेदार है । जिस प्रतिवादी नं0 1/3 हिस्से पर खातेदार काबिज है । जिस पर वादीगण नं0 1 व 2 का बराबर बराबर हिस्सा आता है । तनकी नं0 1 प्रतिवादी नं 1 राजस्व रिकार्ड में खातेदार हिस्सा 1/3 का है प्रतिवादी नं0 1 के वारिस साक्षी व सृष्टि नाबालिग होने के कारण उनका हिस्सा 1/9 व 1/9 आता है यानि 2/9 पर खातेदार करा पाने के अधिकारी है जो वादीगण के पक्ष में है । जिसमें वादीगण अपने हिस्से 1/9 में जरिये हुक्म इम्तनाई से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है ।

अतःतनकी नं0 1 व 2 वादीगण के पक्ष में होने के कारण राजस्व रिकार्ड में आ0ख0नं0 आराजी ख0नं0 1241/0.88, 1245/0.23, 1246/0.61, 2045/1298/0.34, 2047/249/0.23 किता 5 रकवा 2.29 हैक्ट, वाके ग्राम नन्देरा तहसील कामां पर वादीगण साक्षी यादव , सृष्टि यादव पुत्रीयान रामेश्वर यादव जाति अहीर निवासी आसूका तहसील कामां नाबालिग जरिये बलीसरपरस्त उर्मिला यादव पत्नि रामेश्वर यादव जाति अहीर निवासी आसूका हाल आबाद रामनगर 60 फुट रोड ठाकुरवाला कुआ अलवर को 1/9 व 1/9 हिस्से पर काश्तकार खातेदार रहेगा । तथा 1/3 हिस्से खातेदार से कलम जन किया किया जाकर 1/9 हिस्से पर काश्तकार किया जाना उचित है ।

अतः आदेश है कि –

वाद वादी का डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0नं0 1241/0.88, 1245/0.23, 1246/0.61, 2045/1298/0.34, 2047/249/ 0.23 किता 5 रकवा 2.29 हैक्ट, वाके ग्राम नन्देरा तहसील कामां पर वादीगण साक्षी यादव , सृष्टि यादव पुत्रीयान रामेश्वर यादव जाति अहीर निवासी आसूका तहसील कामां नाबालिग जरिये बलीसरपरस्त उर्मिला यादव पत्नि रामेश्वर यादव जाति अहीर निवासी आसूका हाल आबाद रामनगर 60 फुट रोड ठाकुरवाला कुआ अलवर को 1/9 व 1/9 हिस्से पर काश्तकार खातेदार किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 को 1/3 हिस्से खातेदार से कलम जन किया जाकर 1/9 हिस्से पर काश्तकार घोषित किया जाता है । इस आशय की डिक्री तैयार कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जी जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो। इ

30.08.2018

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ० 20 रु० 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

बअदालत बहैसियत कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

जनाब पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव RAS

लाली यादव वगैरा बनाम रामेश्वर यादव वगैरा

दावा बावत 88, 89, 188 R T Act

मुकदमा नं० 53/2013 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू न्यायिक अधिकारी

बहाजिरी मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि आराजी ख० नं० 1241/0.88, 1245/0.23, 1246/0.61, 2045/1298/0.34, 2047/249/0.23 किता 5 रकबा 2.29 हैक्टेयर [illegible] पर लाली यादव [illegible] D/o रामेश्वर यादव [illegible] [illegible] उर्मिला यादव [illegible] रामेश्वर यादव [illegible] [illegible] 6-[illegible] [illegible] को 1/9 व 1/9 हिस्से पर [illegible] घोषित किया जाता है। [illegible] को 1/3 हिस्से [illegible] किया

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर [illegible] 1/9 हिस्से पर [illegible] घोषित किया जाता है। को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/8/18 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज०

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	3=	✓	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2=	✓	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	2=	✓	महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	7=	✓	मीजान	[signature]	

प्रमाणित छायाप्रति

उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज०